

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2013—पौष 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. एफ बी-4-13-2013-2-पांच (26).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा,—

- (एक) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-12-2005-सात-06, दिनांक 14 अगस्त 2013 द्वारा सृजित किए गए नये राजस्व जिले आगर-मालवा की सीमाओं के संविस्तीर्ण एक नया पंजीयन जिला आगर-मालवा बनाती है;
- (दो) कार्यालय पंजीयक, जिला आगर-मालवा के नाम से एक कार्यालय स्थापित करती है; और
- (तीन) यह निदेश देती है कि उपरोक्त खण्ड (एक) तथा (दो) के अधीन गठित किया गया राजस्व जिला तथा स्थापित किया गया पंजीयक कार्यालय दिनांक 26 जनवरी 2014 से अस्तित्व में आएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. एफ बी-4-13-2013-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की आदेश क्रमांक एफ बी-4-13-2013-2-पांच (26), दिनांक 30 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 30th December 2013

No. F-B-4-13-2013-2-V (26).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), the State Government, hereby :—

- (i) forms a new registration district Agar-Malwa in congruence with the boundaries of the new revenue district of Agar-Malwa created *vide* Notification No. F-1-12-2005-VII-06, dated 14th August 2013 of Revenue Department, Government of Madhya Pradesh.
- (ii) establishes an office at Agar-Malwa to be styled as the office of the Registrar, district Agar-Malwa; and
- (iii) directs that the formation of the registration district and the establishment of the office of Registrar under clause (i) and (ii) above shall come into existence from 26th January 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.